Detail of Unauthorized Colonies

87. Sh. AMIT SIHAG (Dabwali):

Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state that:-

a) the details of the unauthorized/unapproved colonies falling under Dabwali Assembly Constituency;

b) the process adopted togetherwith the steps taken by the Government to regularize the abovesaid unapproved colonies; and

c) the time by which the abovesaid colonies are likely to be regularized ?

Dr. Kamal Gupta, Urban Local Bodies Minister, Haryana

Sir,

a) As per survey conducted by Town and Country Planning Department, there are 9 unauthorized/unapproved colonies falling under Dabwali Assembly Constituency;

b) Regarding the regularisation of unauthorised colonies within the municipal limit, the Government enacted Act no. 24 of 2021 by amending the Haryana Management of Civic Amenities & Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provision) Act, 2016 vide notification dated 10.09.2021. As required under section 3 of the amendment Act, the norms/ policy dated 14.02.2022 has been issued to all ulbs for taking action for notification of the civic amenities & infrastructure deficient areas as 'declared areas' under the Act.

Regarding the regularization of unauthorised colonies outside the municipal limit, the Government enacted Act no. 05 of 2022 by notifying the Haryana Management of Civic Amenities & Infrastructure Deficient Areas Outside Municipal Area (Special Provision) Act, 2022 vide notification dated 17.01.2022. As required under section 3 of the Act, the norms/ policy dated 19.07.2022 has been issued to all concerned for taking action for notification of the civic amenities & infrastructure deficient areas as 'declared areas' under the Act.

c) Till date, layout plans of 6 colonies falling within MC limit of Dabwali, have been received from Town and Country Planning Department, which have been forwarded to Municipal Council Dabwali for taking immediate action as per the norms and provisions of the Act. The process to notify the illegal colonies as 'declared area' under the Act shall be done after the receipt of resolution of concerned municipal body and if the colony fulfils the laid down norms for notification.

अनाधिकृत कॉलोनियों का विवरण

87. श्री अमित सिहाग (डबवाली) :

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) डबवानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अनाधिकृत/अस्वीकृत कॉलोनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अस्वीकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के साथ अपनाई गई प्रक्रिया; तथा

(ग) उक्त कॉलोनियों को कब तक नियमित किए जाने की संभावना है?

डा0 कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा

श्रीमान,

(क) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा किए गए संर्वेक्षण के अनुसार डबवाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9 अनधिकृत/अस्वीकृत कॉलोनियां आती हैं;

(ख) नगर पालिका सीमा के अन्दर अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में, सरकार ने हरियाणा नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरीय क्षेत्र (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2016 में अधिसूचना दिनांक 10.09.2021 द्वारा संशोधन करके 2021 का अधिनियम संख्या 24 अधिसुचित किया है। संशोधित अधिनियम की धारा 3 के तहत नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों को अधिनियम के तहत "घोषित क्षेत्र" के रूप में अधिसुचित करने की कार्रवाई के लिए मानदंड/नीति दिनांक 14.02.2022 जारी की गई है।

नगर निगम सीमा के बाहर अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में, सरकार ने हरियाणा नगरीय क्षेत्र के बाहर नागरिक सुविधा एवं आधारभूत संरचना की कमी वाले क्षेत्र प्रबंधन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2022 में अधिसूचना दिनांक 17.01.2022 द्वारा 2022 का अधिनियम संख्या 05 अधिसुचित किया है। अधिनियम की धारा 3 के तहत, नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों को अधिनियम के तहत "घोषित क्षेत्र" के रूप में अधिसुचित करने की कार्रवाई के लिए मानदंड/नीति दिनांक 19.07.2022 जारी की गई है।

(ग) अब तक नगर एवं ग्राम नियोजना विभाग से डबवाली की नगर पालिका सीमा के अंतर्गत आने वाली 6 कॉलोनियों के ले—आउट प्लान प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हे अधिनियम के नियम एवं प्रावधानों के अनुसार तत्काल कार्रवाई के लिए नगर परिषद डबवाली को भेज दिया गया है। अधिनियम के तहत अवैध कॉलोनियों को "घोषित क्षेत्र" के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया संबंधित नगर निकाय से संकल्प प्राप्ति के बाद और यदि कॉलोनी अधिसूचना के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, तो की जाएगी।